



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02072026-274020
CG-DL-E-02072026-274020

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3360]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 29, 2026/ आषाढ 8, 1948

No. 3360]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 29, 2026/ ASHADHA 8, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जून, 2026

का.आ. 3495(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा-3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि उत्तर प्रदेश राज्य के जनपद फर्रुखाबाद में राष्ट्रीय राजमार्ग- 730सी के कि.मी. 3.500 काली नदी, कि.मी. 39.840 गंगा नदी, कि.मी. 53.250 रामगंगा नदी पर नए 2-लेन/4-लेन मेजर ब्रिज एवं कि.मी. 31.425, कि.मी. 31.710 व कि.मी. 44.665 पर 03 माइनर ब्रिज के निर्माण/चौड़ीकरण (दो/चार लेन का बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबन्ध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा-3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप/आपत्ति कर सकेगा;

ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) जनपद-फर्रुखाबाद को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा;

उक्त अधिनियम की धारा-3ग की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा;

इस अधिसूचना के अन्तर्गत आने वाली भूमि के भू-रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं, और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य के जनपद फर्रुखाबाद में राष्ट्रीय राजमार्ग- 730सी के कि.मी. 3.500 काली नदी, कि.मी. 39.840 गंगा नदी, कि.मी. 53.250 रामगंगा नदी पर नए 2-लेन/4-लेन मेजर ब्रिज एवं कि.मी. 31.425, कि.मी. 31.710 व कि.मी. 44.665 पर 03 माइनर ब्रिज के निर्माण/चौड़ीकरण के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: उत्तर प्रदेश			जिले का नाम: फर्रुखाबाद		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: अमृतपुर					
गांव का नाम: डबरी					
1	355	सरकारी	गैरकृषि	0.0015 (हेक्टेयर)	0.0015
2	356	सरकारी	गैरकृषि	0.0437 (हेक्टेयर)	0.0437
3	371	निजी	कृषि	0.0131 (हेक्टेयर)	0.0131
4	372	निजी	कृषि	0.2363 (हेक्टेयर)	0.2363
5	389	निजी	कृषि	0.0148 (हेक्टेयर)	0.0148
6	390	निजी	कृषि	0.028 (हेक्टेयर)	0.028
7	391	निजी	कृषि	0.0453 (हेक्टेयर)	0.0453
8	392	सरकारी	गैरकृषि	0.0066 (हेक्टेयर)	0.0066
9	393	निजी	कृषि	0.2292 (हेक्टेयर)	0.2292
10	394	निजी	कृषि	0.0553 (हेक्टेयर)	0.0553
गांव का नाम: चाचूपुर जटपुरा					
11	137/22	निजी	कृषि	0.0305 (हेक्टेयर)	0.0305
12	137/6	सामान्य	कृषि/गैरकृषि	0.0056 (हेक्टेयर)	0.0056
तालुक का नाम: फर्रुखाबाद					
गांव का नाम: भगुआ नगला					
13	112	सामान्य	कृषि/गैरकृषि	0.036 (हेक्टेयर)	0.036
14	113	सामान्य	कृषि/गैरकृषि	0.0521 (हेक्टेयर)	0.0521
15	114	सामान्य	कृषि/गैरकृषि	0.1365 (हेक्टेयर)	0.1365

16	26	निजी	कृषि	0.0878 (हेक्टेयर)	0.0878
17	27	निजी	कृषि	0.0267 (हेक्टेयर)	0.0267
18	28	सरकारी	गैरकृषि	0.0306 (हेक्टेयर)	0.0306
19	29	निजी	कृषि	0.1579 (हेक्टेयर)	0.1579
20	84	सामान्य	कृषि/गैरकृषि	0.0469 (हेक्टेयर)	0.0469
21	85	सामान्य	कृषि/गैरकृषि	0.0405 (हेक्टेयर)	0.0405
22	86	सामान्य	कृषि/गैरकृषि	0.084 (हेक्टेयर)	0.084
23	87	सामान्य	कृषि/गैरकृषि	0.0431 (हेक्टेयर)	0.0431
24	88	निजी	कृषि	0.0102 (हेक्टेयर)	0.0102
25	89	सामान्य	कृषि/गैरकृषि	0.1121 (हेक्टेयर)	0.1121
26	90	सामान्य	कृषि/गैरकृषि	0.105 (हेक्टेयर)	0.105
27	91	सामान्य	कृषि/गैरकृषि	0.059 (हेक्टेयर)	0.059
28	92	सामान्य	कृषि/गैरकृषि	0.3412 (हेक्टेयर)	0.3412
29	96	सामान्य	कृषि/गैरकृषि	0.3402 (हेक्टेयर)	0.3402
गांव का नाम: कटरी सोता बहादुरपुर					
30	10	निजी	कृषि	0.0327 (हेक्टेयर)	0.0327
31	11	सामान्य	कृषि/गैरकृषि	0.0852 (हेक्टेयर)	0.0852
32	12	सरकारी	गैरकृषि	0.0817 (हेक्टेयर)	0.0817
33	13	सरकारी	गैरकृषि	0.0362 (हेक्टेयर)	0.0362
34	15	सरकारी	गैरकृषि	0.6725 (हेक्टेयर)	0.6725
35	16	सरकारी	गैरकृषि	0.3084 (हेक्टेयर)	0.3084
36	18	सरकारी	गैरकृषि	0.0568 (हेक्टेयर)	0.0568
37	7	निजी	कृषि	0.1563 (हेक्टेयर)	0.1563
38	8	निजी	कृषि	0.0333 (हेक्टेयर)	0.0333
39	9	निजी	कृषि	0.064 (हेक्टेयर)	0.064
गांव का नाम: मदनपुर					
40	2468	सरकारी	गैरकृषि	0.076 (हेक्टेयर)	0.076
41	2469	सामान्य	कृषि/गैरकृषि	0.1512 (हेक्टेयर)	0.1512
42	2473	सामान्य	कृषि/गैरकृषि	0.2831 (हेक्टेयर)	0.2831
43	2511	सरकारी	गैरकृषि	0.1663 (हेक्टेयर)	0.1663

44	2512	निजी	कृषि	0.475 (हेक्टेयर)	0.475
45	2513	निजी	कृषि	0.1245 (हेक्टेयर)	0.1245
46	2514	निजी	कृषि	0.1952 (हेक्टेयर)	0.1952
47	2518	सामान्य	कृषि/गैरकृषि	0.1349 (हेक्टेयर)	0.1349
गांव का नाम: भाऊपुर					
48	311	निजी	कृषि	0.0221 (हेक्टेयर)	0.0221
49	322	निजी	कृषि	0.005 (हेक्टेयर)	0.005
50	323	निजी	कृषि	0.0089 (हेक्टेयर)	0.0089
51	325	निजी	कृषि	0.001 (हेक्टेयर)	0.001
52	329	निजी	कृषि	0.0004 (हेक्टेयर)	0.0004
53	334	निजी	कृषि	0.0013 (हेक्टेयर)	0.0013
54	335	सरकारी	गैरकृषि	0.0015 (हेक्टेयर)	0.0015
55	337	सरकारी	गैरकृषि	0.0422 (हेक्टेयर)	0.0422
56	339	सरकारी	गैरकृषि	0.0484 (हेक्टेयर)	0.0484
57	340	निजी	कृषि	0.0017 (हेक्टेयर)	0.0017
Total					5.6855

[फा.सं CE-RO/NH(O)/NH-730C/2024-25/3A1]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION

New Delhi, the 29th June, 2026

S.O. 3495(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for Construction of new 2-Lane/4- Lane Major bridges at Km 3+500 on Kali River, km 39+840 on Ganga River, Km 53+250 on Ramganga River & 03 Minor Bridges at Km 31+425, Km 31+710, Km 44+665 and 01 ROB at Km 36+645 of NH-730C in the district of Farrukhabad in the state of Uttar Pradesh, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, ADM (F/R), Farrukhabad in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structures for Construction of new 2-Lane/4-Lane Major bridges at Km 3+500 on Kali River, Km 39+840 on Ganga River, Km 53+250 on Ramganga River & 03 Minor Bridges at Km 31+425, Km 31+710, Km 44+665 of NH-730C in the district of Farrukhabad in the state of Uttar Pradesh.

State: UTTAR PRADESH			District: FARRUKHABAD		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Amritpur					
Village: Dabri					
1	355	Government	Non Agriculture	0.0015 (Hectare)	0.0015
2	356	Government	Non Agriculture	0.0437 (Hectare)	0.0437
3	371	Private	Agriculture	0.0131 (Hectare)	0.0131
4	372	Private	Agriculture	0.2363 (Hectare)	0.2363
5	389	Private	Agriculture	0.0148 (Hectare)	0.0148
6	390	Private	Agriculture	0.028 (Hectare)	0.028
7	391	Private	Agriculture	0.0453 (Hectare)	0.0453
8	392	Government	Non Agriculture	0.0066 (Hectare)	0.0066
9	393	Private	Agriculture	0.2292 (Hectare)	0.2292
10	394	Private	Agriculture	0.0553 (Hectare)	0.0553
Village: Chachopur Jatpura					
11	137/22	Private	Agriculture	0.0305 (Hectare)	0.0305
12	137/6	Common	Agriculture/Non Agriculture	0.0056 (Hectare)	0.0056
Taluk: Farrukhabad					
Village: Bhagua Nagla					

13	112	Common	Agriculture/Non Agriculture	0.036 (Hectare)	0.036
14	113	Common	Agriculture/Non Agriculture	0.0521 (Hectare)	0.0521
15	114	Common	Agriculture/Non Agriculture	0.1365 (Hectare)	0.1365
16	26	Private	Agriculture	0.0878 (Hectare)	0.0878
17	27	Private	Agriculture	0.0267 (Hectare)	0.0267
18	28	Government	Non Agriculture	0.0306 (Hectare)	0.0306
19	29	Private	Agriculture	0.1579 (Hectare)	0.1579
20	84	Common	Agriculture/Non Agriculture	0.0469 (Hectare)	0.0469
21	85	Common	Agriculture/Non Agriculture	0.0405 (Hectare)	0.0405
22	86	Common	Agriculture/Non Agriculture	0.084 (Hectare)	0.084
23	87	Common	Agriculture/Non Agriculture	0.0431 (Hectare)	0.0431
24	88	Private	Agriculture	0.0102 (Hectare)	0.0102
25	89	Common	Agriculture/Non Agriculture	0.1121 (Hectare)	0.1121
26	90	Common	Agriculture/Non Agriculture	0.105 (Hectare)	0.105
27	91	Common	Agriculture/Non Agriculture	0.059 (Hectare)	0.059
28	92	Common	Agriculture/Non Agriculture	0.3412 (Hectare)	0.3412
29	96	Common	Agriculture/Non Agriculture	0.3402 (Hectare)	0.3402
Village: Katri Sota Bahadurpur					
30	10	Private	Agriculture	0.0327 (Hectare)	0.0327
31	11	Common	Agriculture/Non	0.0852 (Hectare)	0.0852

			Agriculture		
32	12	Government	Non Agriculture	0.0817 (Hectare)	0.0817
33	13	Government	Non Agriculture	0.0362 (Hectare)	0.0362
34	15	Government	Non Agriculture	0.6725 (Hectare)	0.6725
35	16	Government	Non Agriculture	0.3084 (Hectare)	0.3084
36	18	Government	Non Agriculture	0.0568 (Hectare)	0.0568
37	7	Private	Agriculture	0.1563 (Hectare)	0.1563
38	8	Private	Agriculture	0.0333 (Hectare)	0.0333
39	9	Private	Agriculture	0.064 (Hectare)	0.064
Village: Madanpur					
40	2468	Government	Non Agriculture	0.076 (Hectare)	0.076
41	2469	Common	Agriculture/Non Agriculture	0.1512 (Hectare)	0.1512
42	2473	Common	Agriculture/Non Agriculture	0.2831 (Hectare)	0.2831
43	2511	Government	Non Agriculture	0.1663 (Hectare)	0.1663
44	2512	Private	Agriculture	0.475 (Hectare)	0.475
45	2513	Private	Agriculture	0.1245 (Hectare)	0.1245
46	2514	Private	Agriculture	0.1952 (Hectare)	0.1952
47	2518	Common	Agriculture/Non Agriculture	0.1349 (Hectare)	0.1349
Village: Bhaupur					
48	311	Private	Agriculture	0.0221 (Hectare)	0.0221
49	322	Private	Agriculture	0.005 (Hectare)	0.005

50	323	Private	Agriculture	0.0089 (Hectare)	0.0089
51	325	Private	Agriculture	0.001 (Hectare)	0.001
52	329	Private	Agriculture	0.0004 (Hectare)	0.0004
53	334	Private	Agriculture	0.0013 (Hectare)	0.0013
54	335	Government	Non Agriculture	0.0015 (Hectare)	0.0015
55	337	Government	Non Agriculture	0.0422 (Hectare)	0.0422
56	339	Government	Non Agriculture	0.0484 (Hectare)	0.0484
57	340	Private	Agriculture	0.0017 (Hectare)	0.0017
Total					5.6855

[F. No. CE-RO/NH(O)/NH-730C/2024-25/3A1]

SHAIKH AMINKHAN, Director